क्षेत्रीय स्थापना

ANNEXURE - A

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

विषय : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन पदाधिकारी के स्थानान्तरण पदस्थापन के लिये गठित स्थापना मिति के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त ।

मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की नीति और प्रक्रिया के संबंध में एक संकल्प ज्ञाप संख्या 3918 दिनांक 18 अक्टुबर, 1980 निर्गत किया गया है । जिनमे यह उल्लेख है कि विभाग में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिये एक स्थापना समिति का गठन किया जायेगा । और इस समिति के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये जायेंगे ।

उक्त संकल्प के परिपेक्ष्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रण अधीन पदस्थापन एवं सेवा प्राप्त पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिये गठित स्थापना समिति के निम्नांकित मार्ग दर्शन सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं :-

1. सामान्यत: एक स्थान पर पदाधिकारियों को पदस्थापन अवधि तीन वर्षों को होगी ।
2. विशेश परिस्थिति में जनहित को देखते हुए एवं प्रशासनिक कारणों से किसी पदाधिकारी का स्थानान्तरण एवं पदस्थान 2/3 वर्ष के पूर्व ही किया जा सकता है ।
3. प्रमंडल जिला एवं अनुमंडल में पदस्थापित पदाधिकारियों को पदस्थापन अवधि दो वर्ष निर्धारित को जाती है ।
4. उग्रवाद प्रभावित जिलों में पदस्थापित पदाधिकारियों का पदस्थापन / स्थानान्तरण विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष के बाद भी किया जा सकता है ।
5. जिला पदाधिकारी / प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा जिन पदाधिकारियों के विरूद्ध स्थानान्तरण की अनुशंसा हो उनका स्थानानंतरण किसी भी समय किया जा सकता है ।
6. बिहार विधान सभा एवं परिषद में जिन पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोपों से संबंधित प्रश्न पूछे गये हों और जि. पदा./प्रमंडलीय आयुक्त एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आरोपों की पुष्टि की गयी हो तो उन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किसी समय किया जा सकता है ।
7. विधान मंडल समिति को अनुशंसा पर पदाधिकारी का स्थानान्तरण किसी भी समय किया जा सकता है ।
8. विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी जिनका पदस्थापन अवधि समाप्त होने को है सक्षम पदाधिकारी के पास अपना स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिये पहली मार्च/पहली अगस्त तक अभ्यावेदन दे सकते हैं । समिति सामान्यत: इन अभ्यादेशों पर विचार करेगी जो उचित माध्यम से उपस्थापित होंगे ।
9. समिति पदाधिकारियों के पूर्व पदस्थापन और उनके स्थानों पर भी विचार करेगी ताकि पदाधिकारी को यथासंभव राज्य के तीन पदस्थापन क्षेत्र (जोन) जैसे- छोटानागपुर एवं संथालपरगना, उत्तर बिहार एवं राज्य के शेष मध्य बिहार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हो ।
10. साधारणत: एक पदस्थापन उत्तर बिहार में और एक पदस्थापन दक्षिण बिहर में होगा पर किसी भी हालत में 3 पदस्थापनों में एक पदस्थापन किसी पदाधिकारी का उत्तर बिहार में होगा ।
11. किसी जिला में किसी पदाधिकारी कापदस्थापन 4 वर्ष से अधिक नहीं होंगे किसी भी पदाधिकारी को गृह जिला में पदस्थापित नहीं किया जायेगा ।
12. किसी पदाधिकारी को अन्तिम पदस्थापन के अन्तिम वर्ष में यथासंभव उनके द्वारा अनुरोध किये गये पदस्थापन पर किया जायेगा ।
13. उग्रवाद प्रभावित अंचल एवं अनुमंडल में भू-राजस्व से संबंधित पदाधिकारीयों का पदस्थापन अनिवार्य रूप से की जायेगी ।
14. भू-हदबंदी से संबंधित मामला जिस जिला, अनुमंडल एवं अंचल से सम्बन्धित हो वहाँ पदाधिकारियों के पदस्थापन की प्राथमिकता दी जायेगी ।
15. जिस प्रखंड में कृषि संवर्ग के प्रखंड विकास पदाधिकारी हो वहां उक्त अंचल में अंचलाधिकारी के पदस्थापन प्राथमिकी दी जायेगी ।
16. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंकों में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों / महालेखाकार बिहार पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

बम बहादुर सिंह

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 3/ स्था0 बैठक - 49/97 310 रा0, पटना दिनांक 17.6.98

प्रतिलिपि अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं उनसे अनुरोध है कि इसकोएक हजार प्रतियां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करावें ।

ह०/-
(बम बहादुर सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 310/ रा०, पटना, दिनांक 17.6.98

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, भू-अर्जन / निदेशक चकबंदी निदेशाक भू-अभिलेख एवं परिनाम / माननीय मंत्री एवं राज्य मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव / आयुक्त एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(बम बहादुर सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या -3/ भू0 सु0 विविध - 21/96 - 1033 रा०, पटना दिनांक 24.9.96

विषय : **राजस्व एवं भूमि सुधिार विभाग के अधिन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (राजस्व) के पदों पर विभाग, राजस्व पर्षद कार्यालय तथा निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप कार्यालय में अनुसचिवीय सहायकों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के संबंध में।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनाधिन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (राजस्व) के वैसे पदों पर जिन्हें अंचल निरीक्षक-सह-कानूनों को प्रोन्नति से भरा जाता है, के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 616 दिनांक 10.4.80 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राजस्व पर्षद कार्यालय तथा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप कार्यालय में अनुसचिवीय सहायकों को उक्त पदों पर 15 प्रतिशत भरे जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। दिनांक 30.8.88 के बाद सहायक संयुक्त संवर्ग पठित हो जाने के फलस्वरूप सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (राजस्व) के शत प्रतिशत पदों पर अंचल निरीक्षक सह कानूनगों संवर्ग से प्रान्नति द्वारा नियुक्ति का मामला सरकार के विचाराधीन था तथा इस विषय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया । पूर्ण विचारोपरान्त निर्गत विभागीय संकल्प सं0 616 दिनांक 10.4.80 को सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निरस्त किया जाता है । अब सहायक बन्दोबस्त (राजस्व) के शत-प्रतिशत पदों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अंचल निरीक्षक सह कानूनगो संवर्ग से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे ।

2- प्रस्ताव में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति प्राप्त है ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को प्रेषित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सत्यदेव सिंह)

सरकार के उप सचिव

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

। आषाढ़ 1917 (श०)

(सं० पटना 199) पटना, बृहस्पतिवार, 22 जून 1995

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

15 जून 1995

सं० 3-अंचल - 11/94 - 256 रा० - एतद् द्वारा बिहार के राज्यपाल घोषणा करते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आधार पर जिन संबद्ध जिलों एवं ग्राम पंचायतों से अलग होकर, नये प्रखण्डों के सृजन किये गये हैं, यथा निम्नांकित जिलों में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उनके नाम के सामने अंकित नये अंचल सृजित माने जायेंगे ।

नव सृजित अंचलों के मुख्यालय उनके नाम के सामने अंकित स्थान में रहेगा । शेष पंचायतें पूर्ववत् अंचल में रहेंगी ।

क्रमांक	जिला का नाम	नव सृजित अंचल का नाम	मुख्यालय	ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एवं तिथि ।
1	2	3	4	5
1.	पटना	घोसवरी . .	घोसवरी . .	4859, दिनांक 23.6.1993
2.	पटना	दनियांवां . .	दरियावां . .	4855, दिनांक 23.6.1993
3.	पटना	खुसरुपुर . .	खुसरुपुर . .	4856, दिनांक 23.6.1993
4.	पटना	अथमलगोला . .	अथमलगोला . .	4857, दिनांक 23.6.1993
5.	पटना	बेलछी . .	बेलछी . .	4858, दिनांक 23.6.1993
6.	पटना	दुलहिन बाजार . .	दुलहिन बाजार . .	213, दिनांक 6.1.1994
7.	पटना	सम्पतचक . .	सम्पतचक . .	9748, दिनांक 8.12.1994
8.	भोजपुर	अगिआंव . .	अगिआंव . .	2167, दिनांक 7.9.1994
9.	"	गढ़हनी . .	गढ़हनी . .	8523, दिनांक 19.10.1994
10.	नालन्दा	कतरीसराय . .	कतरीसराय . .	7411, दिनांक 16.9.1994
11.	"	परवलपुर . .	परवलपुर . .	7176, दिनांक 8.9.1994
12.	"	करायपरशुराय . .	करायपरशुराय . .	4730, दिनांक 18.6.1993
13.	"	नगरनौसा . .	नगरनौसा . .	4729, दिनांक 18.6.1993
14.	"	बेन . .	बेन . .	4728, दिनांक 18.6.1993
15.	"	सिलाव . .	सिलाव . .	6804, दिनांक 22.8.1994
16.	"	बिन्द . .	बिन्द . .	9366, दिनांक 29.11.1994
17.	"	थरथरी . .	थरथरी . .	9473, दिनांक 1.12.1994
18.	रोहतास	संझौली . .	संझौली . .	8378, दिनांक 7.10.1994
19.	"	कोचस . .	कोचस . .	3403, दिनांक 29.5.1992
20.	"	अकोढ़ीगोला . .	अकोढ़ीगोला . .	2650, दिनांक 8.4.1993

1	2	3	4	5
21.	रोहतास	राजपुर	राजपुर	1096, दिनांक 2.2.1994
22.	"	तिलोथू	तिलोथू	3186, दिनांक 21.4.1994
23.	"	सूर्यपुरा	सूर्यपुरा	6576, दिनांक 10.8.1994
24.	कैमूर	रामपुर	रामपुर	7243, दिनांक 9.9.1994
25.	"	नुआंव	नुआंव	7242, दिनांक 9.9.1994
26.	बक्सर	चौगाई	चौगाई	7290, दिनांक 12.9.1994
27.	"	चौसा	चौसा	9755, दिनांक 8.12.1994
28.	"	चक्की	चक्की	9794, दिनांक 8.12.1994
29.	"	केसठ	केसठ	9753, दिनांक 9.12.1994
30.	गया	नीमचक बथानी	बथानी	7175, दिनांक 8.9.1994
31.	"	डोभी	डोभी	6663, दिनांक 12.8.1994
32.	"	टनकुप्पा	टनकुप्पा	6661, दिनांक 12.8.1994
33.	"	गुरारु	गुरारु	8566, दिनांक 20.10.1994
34.	"	बांकेबाजार	बांकेबाजार	128, दिनांक 5.1.1993
35.	नवादा	काशीचक	काशीचक	8317, दिनांक 6.10.1994
36.	"	रोह	रोह	8316, दिनांक 6.10.1994
37.	"	नारदीगंज	नारदीगंज	9436, दिनांक 30.11.1994
38.	"	मेसकोर	मेसकोर	9747, दिनांक 8.12.1994
39.	जहानाबाद	सोनभद्रवंशी सूर्यपुर	बंशीसूर्यपुर	8608, दिनांक 25.10.1994
40.	"	रतनीफरीदपुर	रतनीफरीदपुर	8621, दिनांक 24.10.1994
41.	"	कलेर	कलेर	9434, दिनांक 30.11.1994
42.	भागलपुर	खरीक	खरीक	7444, दिनांक 17.9.1994
43.	"	नारायणपुर	नारायणपुर	7443, दिनांक 17.9.1994
44.	"	गोराडीह	गोराडीह	8648, दिनांक 25.10.1994
45.	"	इसमाईलपुर	इसमाईलपुर	9754, दिनांक 8.12.1994
46.	"	रंगराचौक	रंगराचौक	9750, दिनांक 8.12.1994
47.	बांका	फूलीडूमर	फूलीडूमर	7134, दिनांक 6.9.1994
48.	मुंगेर	पिपरिया	पिपरिया	7445, दिनांक 17.9.1994
49.	"	घाटकुसुम्भा	घाटकुसुम्भा	4854, दिनांक 23.6.1993
50.	"	बरियारपुर	बरियारपुर	1257, दिनांक 8.2.1994
51.	"	टेटिया बम्बर	टेटिया बम्बर	1259, दिनांक 8.2.1994
52.	"	चेवाड़ा	चेवाड़ा	6204, दिनांक 29.7.1994
53.	"	शेखोपुर सराय	शेखोपुर सराय	6209, दिनांक 29.7.1994
54.	जमुई	गिद्धौर	गिद्धौर	7135, दिनांक 6.9.1994
55.	"	बरहट	बरहट	3091, दिनांक 15.4.1994
56.	"	अस्लमानगर अलीगंज	अस्लमानगर	6203, दिनांक 29.7.1994
57.	बेगुसराय	वीरपुर	वीरपुर	6926, दिनांक 26.8.1994
58.	"	डंडारी	डंडारी	6924, दिनांक 26.8.1994

1	2	3	4	5
59.	बेगुसराय	छौंड़ाही . .	छौंड़ाही . .	6923, दिनांक 26.8.1994
60.	"	मंसूरचक . .	मंसूरचक . .	6922, दिनांक 26.8.1994
61.	"	गढ़पुरा . .	गढ़पुरा . .	2034, दिनांक 3.3.1994
62.	"	नावकोठी . .	नावकोठी . .	2033, दिनांक 3.3.1994
63.	खगड़िया	मानसी . .	मानसी . .	9596, दिनांक 3.12.1994
64.	मुजफ्फरपुर	बन्दरा . .	बन्दरा . .	8191, दिनांक 28.9.1993
65.	सीतामढ़ी	पुरनहिया . .	पुरनहिया . .	4732, दिनांक 18.6.1993
66.	"	डुमरीकटसरी . .	डुमरीकटसरी . .	4733, दिनांक 18.6.1993
67.	"	सुप्पी . .	सुप्पी . .	6031, दिनांक 22.7.1994
68.	"	परसोनी . .	परसोनी . .	6034, दिनांक 22.7.1994
69.	"	बोखड़ा . .	बोखड़ा . .	9752, दिनांक 8.12.1994
70.	"	चेरौत . .	चेरौत . .	9751, दिनांक 8.12.1994
71.	वैशाली	राजापाकड़ . .	राजापाकड़ . .	6024, दिनांक 22.7.1994
72.	"	भगवानपुर . .	भगवानपुर . .	6083, दिनांक 26.10.1994
73.	"	चेहराकला . .	चेहराकला . .	8684, दिनांक 26.10.1994
74.	"	प्रेमराज . .	प्रेमराज . .	9435, दिनांक 30.11.1994
75.	"	पटेढ़ी वेलसर . .	वेलसर . .	9597, दिनांक 3.12.1994
76.	प० चम्पारण	भितहा . .	भितहा . .	8289, दिनांक 5.10.1994
77.	"	पिपरासी . .	पिपरासी . .	9438, दिनांक 30.11.1994
78.	पूर्वी चम्पारण	बंजरिया . .	बंजरिया . .	8239, दिनांक 4.10.1994
79.	"	कोव्वा . .	कोव्वा . .	6577, दिनांक 10.8.1994
80.	"	पिपराकोठी . .	पिपराकोठी . .	8379, दिनांक 7.10.1994
81.	"	संग्रामपुर . .	संग्रामपुर . .	4727, दिनांक 18.6.1993
82.	"	फेन्हरा . .	फेन्हरा . .	3212, दिनांक 21.4.1994
83.	"	तेतरिया . .	तेतरिया . .	3213, दिनांक 21.4.1994
84.	सारण	पानापुर . .	पानापुर . .	7561, दिनांक 20.9.1994
85.	"	नगरा . .	नगरा . .	7560, दिनांक 20.9.1994
86.	"	मकेर . .	मकेर . .	8976, दिनांक 30.10.1993
87.	"	इसुआपुर . .	इसुआपुर . .	9379, दिनांक 29.11.1994
88.	"	लहलादपुर जनताबाजार . .	लहलादपुर .	9380, दिनांक 29.8.1994
89.	सीवान	लकड़ी नवीगंज . .	नवीगंज . .	6805, दिनांक 22.8.1994
90.	गोपालगंज	थावे . .	थावे . .	6578, दिनांक 10.8.1994
91.	"	पंचदेवरी . .	पंचदेवरी . .	7170, दिनांक 7.9.1994
92.	"	सिंहवलिया . .	सिंहवलिया . .	8290, दिनांक 5.10.1994
93.	"	फुलवरिया . .	फुलवरिया . .	3112, दिनांक 22.4.1993
94.	दरभंगा	किरतपुर . .	झगड़ुआ . .	7698, दिनांक 22.9.1994
95.	"	गोड़ाबौराम . .	गोड़ाबौराम . .	7697, दिनांक 22.9.1994
96.	"	अलीनगर . .	अलीनगर . .	2907, दिनांक 14.5.1992
97.	"	कुशेश्वर स्थानपूर्वी . .	धकौलिया . .	6662, दिनांक 12.8.1994

1	2	3	4	5
98.	समस्तीपुर	खानपुर . .	खानपुर . .	6664, दिनांक 12.8.1994
99.	"	ताजपुर . .	ताजपुर . .	6661, दिनांक 7.8.1993
100.	"	विधान . .	विधान . .	1373, दिनांक 23.2.1993
101.	"	शिवाजी नगर . .	शिवाजी नगर . .	6662, दिनांक 7.8.1993
102.	"	विद्यपति नगर . .	विद्यपति नगर . .	808, दिनांक 22.1.1994
103.	"	मोहनपुर . .	मोहनपुर . .	7174, दिनांक 8.9.1994
104.	साहेबगंज	उदवा . .	पतौड़ा . .	8372, दिनांक 6.10.1994
105.	"	भंडरी . .	भंडरी . .	8373, दिनांक 6.10.1994
106.	देवघर	देवीपुर . .	देवीपुर . .	8622, दिनांक 24.10.1994
107.	सहरसा	पतरघट . .	पतरघट . .	3303, दिनांक 20.4.1993
108.	"	सतरकटैया . .	सतरकटैया . .	1246, दिनांक 9.2.1994
109.	"	वनमाईटहारी . .	ईटहारी . .	6206, दिनांक 29.7.1994
110.	मधेपुरा	शंकरपुर . .	शंकरपुर . .	3307, दिनांक 30.4.1993
111.	"	ग्वालपाड़ा . .	ग्वालपाड़ा . .	707, दिनांक 21.1.1994
112.	"	बिहारीगंज . .	बिहारीगंज . .	708, दिनांक 21.1.1994
113.	"	पुरैनी . .	पुरैनी . .	3063, दिनांक 13.4.1994
114.	सुपौल	सरायगढ़ भपटियाही . .	सरायगढ़ भपटियाही . .	3302, दिनांक 30.4.1993
115.	"	प्रतापगंज . .	प्रतापगंज . .	8412, दिनांक 7.10.1994
116.	पूर्णियाँ	डमरूआ . .	डमरूआ . .	6468, दिनांक 6.8.1994
117.	"	श्रीनगर . .	श्रीनगर . .	6467, दिनांक 6.8.1994
118.	"	जलालगढ़ . .	जलालगढ़ . .	6469, दिनांक 6.8.1994
119.	कटिहार	डंडाखौरा . .	डंडाखौरा . .	7998, दिनांक 30.9.1994
120.	"	हसनगंज . .	हसनगंज . .	7997, दिनांक 30.9.1994
121.	"	मनसाही . .	मनसाही . .	6208, दिनांक 29.7.1994
122.	"	समैली . .	समैली . .	6202, दिनांक 29.7.1994
123.	"	कुरसेला . .	कुरसेला . .	6205, दिनांक 29.7.1994
124.	हजारीबाग	पदमा . .	पदमा . .	9437, दिनांक 30.11.1994
125.	चतरा	पथलगड्ढा . .	पथलगड्ढा . .	8235, दिनांक 4.10.1994
126.	"	कुन्डा . .	कुन्डा . .	9378, दिनांक 29.11.1994
127.	"	गिद्धौर . .	गिद्धौर . .	9381, दिनांक 29.11.1994
128.	"	लावालांग . .	लावालांग . .	9477, दिनांक 1.12.1994
129.	"	चन्दवारा . .	चन्दवारा . .	9478, दिनांक 1.12.1994
130.	पलामू	सतपरवा . .	सतपरवा . .	6928, दिनांक 26.8.1994
131.	गढ़वा	डण्डई . .	डण्डई . .	8000, दिनांक 30.9.1994
132.	"	रमकंडा . .	रमकंडा . .	6926, दिनांक 26.8.1994
133.	"	खरौंधी . .	खरौंधी . .	7999, दिनांक 30.9.1994
134.	"	बिनिया . .	बिनिया . .	6927, दिनांक 28.8.1994
135.	"	रमना . .	रमना . .	8001, दिनांक 30.9.1994

बिहार -राज्यपाल के आदेशसे

ह०/-

मनोहर लाल,

सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या -7/पी0 एस0 भी0 03-103/ 90 का0

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक, सुधार विभाग

पेषक,

सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, पटना

पटना-, दिनां क

विषय : **विभागीय पोन्नति समिति में तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित समितियो/उच्च स्तरीय चयन समितियों में कामिक एवं प्रशासनिक भुधार विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन ।**

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या - 2653, दिनांक 28 फरवरी 1989 के कंडिका -2 में विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन तथा उनकी कार्य प्रणाली के सबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया जाचुका है :-

1. बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य समिति) विनियामावली 1957 के विनियम -7 में जो संशोधन किया गया है वह सिर्फ राज्य सेवाओं/ संवर्गों के लिए लागू होगा अर्थात राज्य सेवाओं/संवर्गों के बाहर जो अन्य पद है, उनके यथावत की भाति जहां आवश्यक हो लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी उसी प्रकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरुप विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के जिन सूची पर नियुक्ति/प्रोन्नति का मामला लोक सेवा आयोग के दायरा में बाहर नहीं गया है उन पदों पर भी पहले की भांति जहां आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसाप्राप्त की जायगी । संशोधि त नियमावली बिहार न्यायिक सेवा के बारे में लागू नही होगा ।

2. विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभाग को चार समुहों मे विभक्त किया गया है । प्रत्येक समुह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति /समितियाँ गठित की गयी है । सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा/संवर्ग नहीं है । कुछ ही विभागों के अधीन सेवा तथा संवर्ग है, अत: कालक्रम में समुह के किसी विभाग के अधीन सेवा/संवर्ग गठित होने का संबंधित कार्मिकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में संबंधित समुह के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार की अनुशंसा देने के लिएसक्षम होगी ।

विभागीय समुह तथा विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन संबंधी सूची (परिशिष्ट -ग) इसके साथ संलग्न की जा रही है ।

3. अत: उपर्युक्त के आलोक में सूचित करना है कि प्रत्येक विभाग समुह के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति में तथा विभागीय समुह में अंकित प्रत्येक विभागों के अधीनस्थ लोक उपक्रमों की विभागीय प्रोन्नति समितियों/उच्च स्तर प्रोन्नति समितियों में निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाता है :-

1.	श्री एस0 सी0 विश्वास निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना	1. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं गृह विभाग हेतु (वि0 प्र0 से0) के गुणर टाईम श्रेणी-II एवं III तथा वि0 आ0 से0 के वरीय प्रबंधक कोटि आरक्षी उपाधीक्षकों के पदों पर प्रोन्नति हेतु । विनियंत्रण संबंधी विभाग
2.	श्री ए0 सी0 विश्वास निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना	2. (समूह ''क'')

3.	श्री फूल सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।	3.	कार्य विभाग (समूह ग)
4.	श्री बी0 के0 हलधर निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	4.	विकासात्मक विभाग (समूह "ग")
5.	श्रीमती बीणा कच्छप ईख आयुक्त, बिहार, पटना	5.	सेवा विभाग (समूह "ग")

उपर्युक्त संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र / पत्रों के अवक्रमित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या - 7/पी0 एम0 सी0 3-103/90 का पटना -15, दिनांक

प्रतिलिपि श्री ए0 सी0 विश्वास, निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना/श्री फूल सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, बिहार पटना / श्री बी0 के0 हलधर, निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार पटना/श्रीमती बीणा कच्छप, ईख आयुक्त बिहार, पटना/ को सूचनार्थ प्रेषित ।

(हेंम नारायण)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या -7/पी0 एस0 भी0 03-103/ 90 12996 का0

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक, सुधार विभाग

पेषक ,

श्री हेम नारायण सिंह,

सरकार के संयुक्त

विषय : **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन अराज्यपत्रित पदों में राजपत्रित पद (सहायक बन्दोबस्त) पदाधिकारी पर प्रोन्नति देने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मे0 सं0 प्रे0 सं0 761 दिनांक 6.9.91 के प्रसंग में कहना है कि विभागीय प्रोन्नति समितियां के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभागों की चार समूह में विभक्त किया गया है, प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समितियां गठित की गई है । सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा/संवर्ग नहीं है । कुछ ही विभागों के अधीन सेवा तथा अलग संवर्ग है, अतः कार्यक्रम में समूह के किसी विभाग के अधीन सेवा संवर्ग गठित होंगे तथा सम्बन्धित कर्मियों की नियुक्ति / प्रोन्नति के मामले में संकलित समूह के लिये गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकर को अनुशंसा देने के लिए सक्षम होगी । उपरोक्त सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0 2653 दिनांक 28.2.89 एवं पत्र सं0 1215 दिनांक 29.1.91 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या -7/पी0 एस0 भी0 03-103/ 90 का0

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक, सुधार विभाग

पेषक ,

श्री अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, पटना

पटना - 15, दिनांक 29 जनवरी 91

विषय : विभागीय प्रोन्नति समिति में तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित समितियों / उच्च स्तरीय चयन समितियों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारी की उपस्थिति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपयुक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प संख्या 2653, दिनांक 28.2.89 "प्रतिलिपि संलग्न" के प्रसंग में कहना है कि विभागीय प्रोन्नति समिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि का रहना अनिवार्य है । परन्तु यह देखा जा रहा है कि अधिकतर विभाग का संकल्प के बावजूद अपने तरीके से विभागीय प्रोन्नति समिति गठित कर उसमें संबंधी निर्णय ले रहे हैं, जिसमें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि नहींबुलाये जाते हैं ।

2. अतः अनुरोध है कि विगत संकल्प निर्गत होने की तिथि अर्थात 28.2.96 के पश्चात अपने विभाग में कितनी विभागीय प्रोन्नति समितियों की बैठक कब तक हुई है, इस संबंध में निम्नांकित प्रपत्र में सूचना भेजने की कृपा करें :-

क्रमांक	विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकों की तिथियां (28.2.96 के बाद)	कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग के प्रतिनिधि बुलाये गये थे, यदि हां तो उसका पत्रांक/ दिनांक ।	कार्मिक प्र0 सु0 विभाग के प्रतिनिधि उपस्थिति हुए थे? यदि हां तो उनका नाम	यदि कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए तो क्या बैठक हुई ?	यदि उपस्थिति नहीं हुए तो क्या कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग को उससे अवगत कराया गया ? यदि हां तो पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

3. दिनांक 28.2.89 की अधिसूचना के पश्चात विभागीय प्रोन्नति समिति का पुनर्गठन किया जाना अनिवार्य हो गया है । इस संबंध में आपके विभाग की पुर्नगठित विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन की अधिसूचना की प्रतिलिपि भी संलग्न की जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या -7/पी0 एस0 भी0 03-101/ 88 का0

कार्मिक एवं प्रशासनिक, सुधार विभाग

संकल्प

28 फरवरी 1989

विभिन्न राज्य के सेवाओं / संवर्गों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन एवं तत्संबंधी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के चलते बढ़ते कार्यभार तथा अन्य कार्यकलापों के भार को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में त्वरित निर्णय लेनेके उद्देश्य से राज्य सेवाओं/संवर्गों के कई स्तरों के पदों पर प्रोन्नति का मामले में बिहार लोक सेवाआयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 1174 दिनांक 24 जनवरी 1989 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली 1957 के विनियम 7 (स) समाविष्ट होने के फलस्वरुप विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के जिनपदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले बिहार लोक सेवाआयोग के दायरे से बाहर रखा गया है, उन पदों नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित चयन/अनुशंसा करने हेतु ''विभागीय प्रोन्नति समिति'' का गठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली का निरुपण आवश्यक है ।

2. ''विभागीय प्रोन्नति समितियों'' के गठन तथा उनकीकार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में पूर्ण विचार कर राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

(1) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम -7 में जो संशोधन किया गया है वह सिर्फ राज्य सेवाओं/संवर्गों के लिए लागू होगा अर्थात राज्य सेवाओं/संवर्गों के बाहर जो अन्य पदें हैं, उनमें पंचायत पहले की भांति जहां आवश्यक हो लोक सेवा आयोग कीअनुशंसा प्राप्त की जायगी । उसी प्रकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरुप विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति का मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर नहीं गया है उन पदों पर भी पहले की भांति जहां आवश्यक हो लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी। संशोधित नियमावली बिहार न्यायिक से बारे में लागू नहीं होगा। संशोधित विनियमावली के विनियम-7 (स) कीएक प्रति परिशिष्ट ''क'' के रूप में इसके साथ संलग्न है ।

(2) विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकारके विभागों को चार समूह में विभक्त किया गयाहै । प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियां गठित कीगई है । सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा/संवर्ग नहींहै । कुछ हीविभागों के अधीन के सेवा तथा/अथवा संवर्ग है, अत: कालक्रम में समूह के किसी विभाग के अधीन सेवा/संवर्ग गठित होने तक सम्बन्धित कार्मिकों कीनियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में सम्बन्धित समह के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार को अनुशंसा देने के लिए सक्षम होगी । वर्तमान में विद्यमान राज्य सेवाओं/संवर्गों कीसूची परिशिष्ट ''ख'' में अंकित है । भविष्य में कोई राज्यसेवा/संवर्ग गठित होने पर वह स्वत: परिशिष्ट ''ख'' से सम्मिलित किया गया है, समझा जायगा ।

3. जैसा कि ऊपर कंडिका - 2 (2) में उल्लेख किया गया है सकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है । इसप्रकार समूह में विभागों के प्रशासनाधीन राज्यसेवाओं संवर्गों के पदों के निमित विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन परिशिष्ट ''ग'' के अनुसार कियाजाता है । विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के लिए कोरम 4 (चार) सदस्यों का होगा । परन्तु निजी सहायक संवर्ग के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के लिए कोरम 3 (तीन) सदस्यों का होगा ।

4. संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष से तिथि एवं समय लेकर समिति के सदस्यों को बैठक कीसूचना देना बैठक के लिए टिप्पणी तैयार करना तथा अन्य सभी कागजात जैसे स्वेच्छा प्रमाण-पत्र धारिता आदि अबतक कर अध्यक्ष एवं सदस्यों को देनेको जिम्मेवारी संबंधित प्रशासी

विभाग कीहोगी । इसीप्रकार बैठक के बाद अध्यक्ष कीअनुमति लेकर बैठक कीकार्यवाही तैयार करना और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उद्यमों का हस्ताक्षर प्राप्त करना भी प्रशासी विभाग की जिम्मेवारी होगी । विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वे इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन अलग से भी दे सकेंगे ।

5. प्रशासी विभाग कीयह जिम्मेवारी रहेगीकि प्रत्येक पंचांग वर्ष में होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध इसके पहले वर्ष के दिसम्बर तक विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अगले वर्ष में प्रोन्नति देने के लिए एक पेनल तैयार करेगा, ताकि अगले वर्ष में होनेवाली रिक्तियों के विरूद्ध समय पर प्रोन्नति आदेश निर्गत किा जा सके ।

6. चूंकि वर्ष 1989 प्रारम्भ हो गया है इसलिए 1989 के लिए सभी कार्रवाई उस अभीष्ट 1939 तक अवश्य ही पूरी कर ली जाय । तदनुसार वर्ष 1990 के लिए पेनल दिसम्बर, 1989 तक अवश्य ही तैयारकर ली जायेगी ।

7. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

8. इस संकल्प के निर्गत होने के फलस्वरुप पूर्व में एतद् सम्बन्धी संकल्प/निदेश/ परिपत्र आदि इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे जिस हद तक इससंकल्प के प्रावधान के अनुसार आवश्यक हो :

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारणकी जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रचारित कराया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

एम0 एल0

पत्र संख्या -11/का० -1-101/86 12

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक, सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कामेश्वर प्रसाद,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

बिहार, पटना ।

पटना, 11 मई 1988 ।

विषय : सरकारी सेवा में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर कालावधि निर्धारण ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक परिपत्र संख्या 9277 दिनांक 29.5.71 की कंडिका - 4 के अनुपालन में राजस्व विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार में निम्नांकित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

क्रमांक	निम्नतर पद एवं वेतनमान	उच्चतर पद एवं वेतनमान	प्रोन्नति हेतु कालावधि (वर्ष में)
1	2	3	4
1-	अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो (850 - 1360)	बन्दोबस्त पदाधिकारी (880 - 1510)	5 (पाँच) वर्ष

2- कालावधि की गणना पदभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या -4/स्था० सेवा - नीति -09 / 2001 1361 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक ,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक 25.8.2001

विषय : चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन के फलस्वरूप समाहरणालय संवर्ग में उनकी वरीयता निर्धारण करने के संबंध में ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनेक समाहर्त्ताओं द्वारा चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारियों के समाहरणालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में समायोजन के फलस्वरुप समाहरणालय संवर्ग में उनकी वरीयता निर्धारण में सरकारी नीति कासही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है जबकि उनकी वरीयता निर्धारण करने के संबंध में सरकारी पत्रांक 369/रा० दिनांक 15.4.99 के साथ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रांक - 15784 का० दिनांक 26.8.72 की प्रति संलग्न करते हुए स्पष्ट रुप से नीति निर्धारण किया जा चुका है ।

इस विषय पर पुन: कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की राय ली गयी है । उनके परामर्शानुसार चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारियों जिनका सामंजन समाहरणालय संवर्ग में हुआ है के समाहरणालय संवर्ग में वरीयता का निर्धारण उक्त विभाग के परिपत्रांक 15784 का० दिनांक 26.8.72 के अनुरूप ही किया जायेगा ।

चूँकि चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारी का समायोजन सरकारीनीति के आलोक में हुआ है । अत: अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त परिपत्र की कंडिका -3 (ग) (3) में निर्धारित नीति के अनुसार समाहरणालय संवर्ग में उनकी वरीयता निर्धारित करते हुए वरीयता सूची निर्गत की जाय तथा यदि किसी कर्मचारी की उसके ही अनुरोध पर एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरित किया गया है तो उनके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए नहीं गिनी जायगी ।

अत: उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अधीनस्थ कार्यालयों के अन्तर्गत इन कर्मचारियों के बीच आपसी वरीयता तदनुसार निर्धारित की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(के० ए० एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या -4/क्षे० स्था० सेवा नीति - 13/2001 687 रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक ,

श्री डी० पी० महेश्वरी
भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक 16.5.2001

विषय : **राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के क्रम में वित्त विभाग के संकल्प संख्या -660 / एफ. दिनांक 8.2.99 एवं 1897 वि. (2) दिनांक 28.3.2001 में निहित अनुदेश के आलोक में क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को प्रेषित सरकारी पत्रांक - 489 रा० दिनांक 21.3.2001 द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या -660 वि० (2) दिनांक 8.2.99 में निहित अनुदेश के आलोक में क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित कराने का निदेश दिया गया था । उपर्युक्त निदेश के आलोक में कतिपय समाहरणालयों से आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है, जो वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में दोषपूर्ण है ।

इस संबंध में वित्त विभाग के अद्यतन पत्रांक 1897 वि० (2) दिनांक 28.3.2001 जिसकी प्रति सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी आरक्षी अधीक्षक को दी गयी है, में आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित् करने के सम्बन्ध में अद्यतन एवं स्पष्ट निदेश प्रेषित किया गया है ।

अत: वित्त विभागीय उक्त परिपत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने समाहरणालय/कार्यालय में दिनांक 1.1.96 से लागू व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाय ।

चूंकि आवश्यकता आधारित पदों को बगैर चिन्हित् कराये उच्चतर पदों पर कोई भी प्रोन्नति दिया जाना नियमाकूल नहीं होगा अत: अनुरोध है कि वित्त विभागीय परि पत्रांक 1897 वि० (2) 28.3.2001 के आलोक में सरकारी पत्रांक 489 /रा० दिनांक 21.3.2001 द्वारा याचित विस्तृत सूचना के साथ आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित् कराने से संबंधित कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डी० पी० महेश्वरी)
भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक -4/ क्षे० स्था० नीति -13/2001 687 रा०, पटना - 15 दि० - 16.5.2001

प्रतिलिपि - निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना / निदेशक, चकबन्दी, बिहार, पटना / उप-निदेशक, कृषि गणना, राजा बाजार, पटना / निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना / विभागीय मुख्यालय स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(डी० पी० महेश्वरी)
भूमि सुधार आयुक्त ।

पत्र संख्या -4/क्षे० स्था0 सेवा नीति - 15/2000 489 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रषक ,

श्री डी0 पी0 महेश्वरी
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक 21.3.2001

विषय : **राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के क्रम में वित्त विभाग के संकल्प संख्या -660 / एफ, दिनांक 8.2.99 में निहित अनुदेश के आलोक में क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 1.1.1996 के प्रभाव से राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है । उक्त सरकारीनिर्णय का संसूचन वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 660 / एफ. दिनांक 8.2.99 द्वारा सभीसंबंधित पदाधिकारियों को किया गया है ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 660/एफ0 दिनांक 8.2.99 के कंडिका -2 एवं 12 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राज्य सेवी वर्ग के कर्मियों के वेतनमान पुनरीक्षण/निर्धारण के क्रम में आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित किया जाना आवश्यक है । आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने के उपरान्त की संबंधित कर्मियों के वेतन निर्धारण को अंतिम स्वरुप प्रदान किया जाना नियमाकुल एवं आवश्यक है ।

अत: अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सरकारी कर्मचारियों के स्वीकृत पद की संख्या, कार्यरत बल, उसका वर्तमान वेतनमान पद सृजन से संबंधित सरकारी आदेश आदि की विस्तृत सूचना सरकारको प्रस्तुत करते हुए निदेशित आवश्यकता आधारित पदों के चिन्हित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डी0 पी0 महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या -4/क्षे० स्था० परि० - पटना - 21/2000 356 रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक ,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 23.5.2000

विषय : परिसदन में कमरा किराया का पुनरीक्षण ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि राज्य के विभिन्न परिसदनों के कमरों के किराये का पुनरीक्षण राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक 937 / रा० दिनांक 30.9.99 द्वारा किया गया था, इसी क्रम में परिसदन में कोई आवंटी कितने दिनों तक सामान्य दर पर राशि भुगतान कर रह सकते हैं इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

1. परिसदन में कोई पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति यदि एक सप्ताह तक रहें तो उनसे सामान्य दर पर निश्चित शुल्क देय होगा ।
2. यदि एक सप्ताह के बाद भी कुछ 15 दिनों तक रहें तो उन्हें दुसरे सप्ताह में सामान्य शुल्क से डेढ़ गुणा राशि भुगतान करना होगा ।
3. 15 दिनों के पश्चात परिसदन के कमरों में रहना नियम विरुद्ध होगा तथा उनसे जबरन परिसदन का कमरा खाली कराने के लिये कार्रवाई शुरू की जायेगी ।
4. 15 दिनों के बाद परिसदन का कमरा खाली नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारी को तब तक उनका आवास भत्ता भुगतेय नहीं होगा जबतक वे कमरा खाली नहीं करते ।

उपर्युक्त व्यवस्था राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों एवं विधायकों तथा संसदों के लिये समान रूप से लागू होगी ।

अनुरोध है कि पूर्व में निर्गत विभागीय पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

यह व्यवस्था आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(के० ए० एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक -4/ क्षे० स्था० परि० पटना 21-2000 356 रा०, पटना दिनाक 23.5.2000

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/सदस्य एवं अपर सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी प्रधान सचिव/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/राजस्व विभागीय सभी संबधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(के० ए० एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या -4/स्था0 सेवा - नीति - 22/99 749 /रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

अतिआवश्यक ।

प्रेषक ,

श्री डी0 पी0 महेश्वरी
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 9.8.99

विषय : चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारियों के योगदान स्वीकृत करने में अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहारके पत्रांक -50 दिनाक 17.1.94 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्राक 279 दिनांक 13.2.95 द्वारा सभी समाहर्त्ताओं को आवश्यक निदेश पूर्व में ही दिये गये हैं ।

2- ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ जिलों के समाहर्त्ता चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारियों के योगदान स्वीकृत करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब करते हैं तथा आठ आठ माह एवं कुछ जिलों में एक-एक साल तक योगदान स्वीकृत करने में लगाते हैं या उनकी सेवा बिना समायोजन के संबंधित उप निदेशक चकबन्दी एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस लौटा देते हैं । इससे संबंधित कर्मचारियों को उस अवधि के वेतन भुगतान सहित सेवावधि विनियमान की समस्या समक्ष उठ खड़ी होती है तथा उन्हें भी परेशानियां उठानी पड़ती है ।

3- इस संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक - 3622 दिनांक 11.6.98 (प्रतिलिपि संलग्न) का स्मरण किया जाय जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रभार रहित अवधि किसी भी कीमत पर पन्द्रह दिनों से अधिक की नहीं हो" । इससे अधिक होने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण किया जाय, तथा दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के वेतन से समुचित राशि काटी जाय ।

4- अत: अनुरोध है कि चकबन्दी के अतिरेक कर्मचारियों का योगदान स्वीकृत करने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय तथा उपरोक्त निदेशों का अनुपालन दृढ़ता से किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डी0 पी0 महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या -3/एफ - 2 -1 /96 - 3622 / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग ।

प्रेषक ,

श्री विजय शंकर दूबे ,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना - 15, दिनांक 11.6.98

विषय : प्रभार रहित अवधि को समाप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

निर्देशानुसार अद्योहस्ताक्षरी को कहना है कि वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 14030/वि0 दिनांक 15.12.94 ज्ञाप संख्या - 1322/वि0, दिनांक 10.2.1967 ज्ञाप संख्या - 2903/वि0 दिनांक 29.3.1968 तथा ज्ञाप संख्या 7015 / वि0 दिनांक 2112.93 द्वारा प्रभार रहित अवधि की अवांछित परम्परा को समाप्त करने हेतु कतिपय निदेश दिये गये थे । वित्त विभाग के संकल्प सं0 - 932 दिनांक 5.2.1986 से 180 दिनों की प्रभार रहित अवधि को विनियमित करने की शक्ति प्रशासीविभाग को प्रत्यायोजित कर दी गयी ।

2- सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त अब यह महसूस किया गया है कि जिस प्रकार बिना किसी सामग्री की आपूर्ति लिये आपूर्तिकर्त्ता को सरकारी खजाने से भुगतान करना जालसाजी तथा धोखाधड़ी है उसी प्रकार बिना कोई काम या सेवा लिये वेतनादि के मंद से भुगतान करना गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है और इस पर पूर्णतया पाबन्दी लगाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । अत: आप किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के संदर्भ में इसकी नौबत नहीं आने दें । किसी भी कीमत पर यह अवधि पन्द्रह दिनों से अधिक की नहीं हो इससे अधिक होने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण किया जाय तथा दोषी पाये जानेवाले व्यक्ति के वेतन से समुचित राशि काटें जायें ।

3- अगर प्रभार रहित अवधि में रहने वाले पदाधिकारी अथवा कर्मचारी स्वयं इसके लिए दोषी साबित होते हैं तो पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए उन्हें देय अवकाश अवैतनिक अथवा असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जायें ।

4- उद्देश्य यह है कि किसी भी परिस्थिति में बिना कोई कार्य का सेवा लिये सरकारी कोषागार से बतौर वेतन अथवा अन्यथा कोई भुगतान नहीं किये जायें ।

5- प्रभार रहित अवधि को समाप्त करने तथा स्थानान्तरण तथा पदस्थापन की व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए सरकारी परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं तथा कार्यपालिका नियमावली में इसके लिए व्यापक निदेश हैं । आपकी सुविधा के लिए उन्हें अंकलित कर अनुसूची -2 पर रख दिया गया है । आप इनका अध्ययन कर तद्नुरूप कार्रवाई करना चाहेंगे ।

6- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या - 7815, दिनाक 21.12.1993 द्वारा 180 दिनों से अधिक प्रभार रहित अवधि के विनियमित के लिए प्रस्ताव भेजते हुए एकजांच पत्र भर कर भेजने कानिदेश दिया गया था । अब चूंकि वित्त विभाग ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि प्रभार रहित अवधि के लिए भुगतान गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा इसके लिए दोषी व्यक्तियों के वेतन से भुगतेय राशि काटे जायेंगे अथवा संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारियों को देय अवकाश असाधाण अवकाश स्वीकृत किये जायेंगे अतएव उपरोक्त जांच पत्र को संशोधित किया गया है जो अनुसूची -1 पर संलग्न है । अनुरोध है कि 180 दिनों से अधिक प्रभार रहित अवधि के विनियमन काप्रस्ताव भेजते वक्त जांचपत्र को ठीक से भर दें तथा सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त ही भेजें ।

7- अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन दृढ़ता से किया जाय तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दें दी जाय ।

अनुलग्नक :- अनुसूची -1 एवं 2

विश्वासभाजन

ह०/-

(विजय शंकर दूबे)

आयुक्त एवं सचिव ।

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या -4/स्था0 सेवा0 - नीति -11/99 - 425 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक ,

श्री डी0 पी0 महेश्वरी

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 11.5.99

विषय : अंचल निरीक्षक राजस्व कर्मचारी एवं अमीनों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रमण्डलीय आयुक्त एवं समाहर्त्ता के अन्तर्गत कार्यरत अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी एवं अमीनों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में एक नीतिगत निर्णय सरकार के विचाराधीन था ।

पूर्ण विचारोपरान्त सरकार ने अंचल निरीक्षक राजस्व कर्मचारी एवं अमीन के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया है ।

1- एक अंचल निरीक्षक एक जिला में 6 वर्षों से अधिक नहीं रहेंगे । 3 वर्षों के बाद उन्हें दूसरे अंचल में उसी जिला के अन्तर्गत पदस्थापित दिया जायगा । तथा उक्त जिले में 6 वर्षों की अवधि पूरी हो जाने के उपरान्त उन्हें दूसरे जिले में स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा । अर्थात् 5 वर्षों के उपरान्त एक जिला से दूसरे जिला में स्थानान्तरण अनिवार्य रहेगा ।

2- राजस्व कर्मचारीएव अमीनों को सेवा भी इसी प्रकार 3 वर्षों तक एक ही स्थान पर एक हल्के में रहेंगे तथा 3 वर्षों के बाद उन्हें दूसरे हल्के में स्थानान्तरण कर दिया जाय तथाएक अंचल में 6 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद उन्हें दूसरे अंचल में स्थानान्तरित किया जायेगा ।

अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाय ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डी० पी० महेश्वरी)

आयुक्त एवं सचिव

पत्र संख्या -4/स्था0 सेवा0 नीति 9/97 - 770

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री बमबहादुर सिंह

सरकार उप सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/

उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 4.8.97

विषय : मंत्रिमण्डल की आर्थिक नीति एवं आर्थिक समन्वय समिति के दि0 30.1.97 को हुई बैठक के निर्णय अनुसार जिला में प्रतिलिपिक के पद समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमण्डल की आर्थिक नीति एवं आर्थिक समन्वय समिति के समक्ष राजस्व पर्षद के वित्तीय वर्ष 1997-98 के बजट प्राक्कलन के निर्धारण के लिए दिनांक 30.1.97 को आयोजित बैठक के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिलिपिक के पद जो जिला स्तर पर स्वीकृत है उसे समाप्त किया जाय । चूंकि हर जिले में फोटो कापियर मशीन की व्यवस्था हो गई है । जिससे छाया प्रति कराने में सुविधा हो गई है । न्यायिक सेवा के अन्तर्गत इसपदकोसमाप्त कर दिया गया है जिसके पूर्वादाहरण के आधार पर जिला प्रशासनके अन्तर्गत भी इस पद कोसमाप्त करने की कार्रवाई की जानी है । अतः अनुरोध है कि प्रतिलिपिकों की सेवा की उपयोगिता के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य विभाग का शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(बम बहादुर सिंह)

उप सचिव ।

पत्र संख्या -4/स्था0 सेवा - नि0 - 145 / 96 - 1311 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक ,

श्री बलदेव सिन्हा
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त ।
सभी समाहर्त्ता / सभी उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 13.12.96

विषय : **समाहरणालय के अभिलेखागार में कार्यरत प्रतिलिपिक / प्रतिलिपिक सह-टंककों को विभागीय लेखा परीक्षा से छूट देने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि समाहरणालय के अभिलेखागार में कार्यरत प्रतिलिपिक एवं प्रतिलिपिक-सह-टंककों को विभागीय लेखा परीक्षा सेछूट देने का प्रस्ताव सरकारके विचाराधीन था । समाहरणालय के अभिलेखागार में कार्यरत प्रतिलिपिक एवं प्रतिलिपिक-सह-टंकक को अपने कार्य सम्पादन के क्रम में लेखा सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती है । वर्णित स्थिति में विषय की पूर्ण-रूपेण जांचोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि समाहरणालय के अभिलेखागार में कार्यरत प्रतिलिपिक एवं प्रतिलिपिक सह टंकक को विभागीय लेखापरीक्षा से मुक्त किया जाय ।

कृपया सरकार द्वारा लिए गये उपर्युक्त निर्णय की सूचना अपनें सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को दे दी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(बलदेव सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 1311 रा0, पटना - 15, दिनांक 13.12.

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, रांची/वित्त अयुक्त, जिला पटना/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना / सचिव राजस्व पर्षद, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(बलदेव सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या -4/स्था0 क्षे0 घो0 प्र0 193 / 96 - 909 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री बलदेव सिन्हा

सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग ।

पटना - 15, दिनांक 28.8.96

विषय : उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के कार्यरत तहसीलदार, दफ्तरी एवं अनुसेवक कासरकारी सेवा में समायोजन किये जाने के उपरान्त उन्हें पेंशन का लाभ देने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 460 न्याय दि0 14.6.96 के सम्बन्ध में कहना है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्व विभागीय पत्रांक 598/रा० दि० 25.8.95 द्वारा राज्य के चौकीदारों एवं तहसीलदारों को उनकी पूर्व नियुक्ति की तिथि से सरकारी सेवक मानते हुए पेंशन आदि का लाभ दिया गया है । यह लाभ प्रवर कोटि प्रोन्नति/कालबद्ध प्रोन्नति में भी मान्य होगा ।

अत: तदनुसार आवश्यक कारवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(बलदेव सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 909 रा0, पटना - 15, दिनांक 28.8.96

प्रतिलिपि उपायुक्त बोकारो के पत्रांक 151 दि0 7.3.96 के प्रसंग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(बलदेव सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या -4/स्था0 क्षे0 प्र0 29 / 95 598 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्रीएस0 एन0 पी0 एन0 सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार, बिहार हिन्नू, रांची ।

पटना - 15, दिनांक 25.8.95

विषय : उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार दफ्तरी एवं अनुसेवक का सरकारी सेवा में समायोजन किये जाने के उपरान्त उन्हें पेंशन आदि का लाभ देने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात छोटानागपुर रूरल पुलिस एक्ट लागू होने के कारण चौकीदारी टैक्स वसूली के लिये चौकीदारी तहसीलदार का पदसृजित किया गया था इनलोगों का समायोजन राजस्व विभाग के पत्रांक 2748 दिनांक 7.11.84 के द्वारा सरकारी सेवा में करने का निर्णय लिया गया और भिन्न-भिन्न जिलों में रिक्त राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजन होने के विधि से चौकीदारी तहसिलदारों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया । इसी प्रकार अनुसेवक एवं दफ्तरी को भी समाहरणालय में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित करने का निर्णय हुआ ।

2- इन समायोजित कर्मचारियों के पेंशन आदिसुविधा के संबंध में यह निर्णय हुआ है कि जिस तिथि से सरकारीसेवा में उनका समायोजन होगाउसी तिथि से पेंशन आदि का लाभ उन्हें दिया जायेगा यह निर्णय विभागीय पत्रांक 1317 दिनांक 5.7.86 द्वारा निर्गत किया गया ।

3- बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने यह प्रश्न उठाया की समायोजन की तिथि से पेंशन आदिसंबंधी कालाभ देने के इन कर्मचारियों की लाभ नहीं मिल पा रहा है । अत: पूर्व की नियुक्ति की तिथि से इन कर्मचारियों को सरकारी सेवक घोषित किया जाय । इन कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय रांची बेन्च में एक रिट याचिका सं0 3594/93 भी दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन पर सरकार को निर्णय लेना है । आवेदकों से आवेदन प्राप्त हुआ और उसपर माननीय उच्च न्यायालय रांची बेन्च के निदेश के आलोक में आवेदक के अनुरोध पर विचार किया गया । इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एव वित्त विभाग भी परामर्श प्राप्त किया गया । विचारोपरान्त सरकारने निर्णय लिया कि इन कर्मचारिं को पूर्व की नियुक्ति तिथि से ही सरकारी सेवक माना जाय एवं तदनुसार पेंशन आदि की सुविधा उन्हें प्रदान की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(एस0 एन0 पी0 एन0 सिन्हा)
आयुक्त एव सचिव

ज्ञापांक - 598/ रा० पटना, दिनांक - 25.8.95

प्रतिलिपि श्री एम० आई० इक्बाल सरकारी वकील पटना उच्च न्यायालय रांची बेन्च महाधिवक्ता कार्यालय पो- हिन्नू रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एव सचिव

ज्ञापांक 598 / रा०, पटना - 15, दिनांक 25.8.95

प्रतिलिपि आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग/दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची / वित्त विभाग बिहार, पटना को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

2- अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आवश्यक कारवाई शीघ्र की जाय तथा की गई कारवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाय ।

ह०/-
(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एव सचिव

पत्र संख्या -279
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिलाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक 13 फरवरी 95 ई०

विषय : चकबन्दी योजना के कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव के पत्र संख्या - 18-चक -4-0-38 /93-50 दिनांक 17.1.1994 के द्वारा दिये गये निर्देशों की ओर आकृष्ट करना है । सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि चकबन्दी योजना के कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के वावजूद भी इस संबंध में कई कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है और समायोजन में विलम्ब हो रहा है ।

2- सरकार की यह इच्छा है कि सभी स्तर पर विशेषध्यान देकर यह सुनिश्चित किया जाय कि चकबन्दी योजना के कर्मचारियों के समायोजन में जो भी व्यवधान अथवा कठिनाईयां हो उन्हें दूर करते हुये सरकारी निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन हो ।

3- इस दिशा में की गई कार्रवाई से शीघ्र अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(अशोक कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या -4/ अंचल - स्था0 - 16/94 - 589 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री कुमार अरूण

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,

सभी उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 14.6.94

विषय : **राज्य के समाहरणालयों एवं अधीनस्त कार्यालयों में 8 जुलाई 1980 से सरकारीसेवक घोषित टंककों/प्रतिलिपिकों की वित्त विभागीय संकल्प संख्या 10770 दिनांक 30.12.81 की कंडिका -11 में निहित प्रावधान के अंतर्गत कालबद्ध प्रोन्नति का अनुमान्यताके संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सबंध में विभागीय पत्रांक 4/क्षे0 स्था0 सेवा -47/86-55 /रा0, दिनांक 8.1.1987 के क्रम में मुझे कहना है कि उक्त परिपत्र में सरकारी सेवक घोषित टंककों एवं प्रतिलिपिकोंकी सरकारी सेवा में समायोजित होने के तिथि अर्थात 8.7.80 सेसेवा गणना कर वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10770, दिनांक 30.12.81 के कंडिका -11 के अनुसार कालबद्ध प्रोन्नति की अनुमान्यता प्रदान की गई थी ऐसे कर्मियों को इनकी नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। इस संबंध में सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि समाहरणालय एवं अधीनस्त कार्यालयों के सरकारीसेवक घोषित टंककों एवं प्रतिलिपिको को नियुक्ति कीतिथि से सेवा की गणना कर कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ अनुमान्य होगा । इस प्रसंग में कालबद्ध प्रोन्नति विषयक परिपत्र समान रूप से प्रभावकारी होंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(कुमार अरूण)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 589 / रा०, पटना - 15, दिनांक 14.6.94

प्रतिलिपि - सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना / वित्त विभाग प्र0 -3ए / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(कुमार अरूण)

सरकार के उप सचिव ।

पत्रांक - 18 - चक-4-0-38/93 - 50 /रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री अ० कु० बसाक
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी निगमों / प्राधिकारों / पर्षदों के प्रबंध निदेशक ।

पटना - 15, दिनांक 17.1.94

विषय : **चकबंदी योजना के स्थगन के फलस्वरूप इस योजना में कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन के सबंध में ।**

महाशय,

चकबंदी योजना के स्थगन के फलस्वरुप इस योजना में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल समायोजन किया जाना है । इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना में कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों कासमायोजन राज्य सरकारकेअन्य कार्यालयों में समकक्ष वेतनमान के पदों पर किया जाय अतः कोई भी विभाग, पर्षद प्राधिकार एवं निगम उन पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं करेंगे जिन पदों के लिए चकबंदीयोजना के अतिरेक कर्मचारियों का समांजन संबंध में चकबंदी योजना में कार्यरत पदाधिकारियों कर्मचारियों का वेतनमान एवं पद नाम इस पत्र के साथ संलग्न है । इस वेतनमान के पदों पर कोई नई नियुक्ति करने के पूर्व सभी विभाग / पर्षद / प्राधिकार / एवं निगम सचिव राजस्व विभाग से अतिरेक कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करेंगे ।

2. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(अ० कुमार बसाक)
सरकार के मुख्य सचिव ।

पदाधिकारी एवं कर्मचारी का वेतनमान एवं पदनाम

क्रम संख्या	वेतनमान	पदनाम
1.	1600 - 2780	सहायक चकबंदी पदाधिकारी
2.	1320-2040	प्रारुपक
3.	1200-1800	चक निरीक्षक
4.	1200-1800	लिपिक/पेशकार
5.	1320-2040	आशुटंकक
6.	975-1540	मोहर्रिर
7.	975-1540	अमीन - (नन मैट्रिक)
8.	975-1540	अमीन (मैट्रिक)
9.	950-1400	चालक
10.	950-1400	दफ्तरी
11.	775-1025	चतुर्थ वर्गीय (आदेशपाल/रात्रि प्रहरी/जंजीर वाहक, अनुसेवक)

पत्र संख्या -18/ चक-4-0-30/93 - 51 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्रीमती लक्ष्मी सिंह
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता ।
सभी उप-विकास आयुक्त

पटना - 15, दिनांक 19 जनवरी 1994 ई० ।

विषय : चकबंदी योजना के अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन हेतु रिक्तियों का सूचना दिये जाने के संबंध में ।

महाशय,

चकबंदी योजना के स्थगन के फलस्वरुप इस योजना में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के समायोजन का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था । इन कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना में कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का समायोजन राज्य सरकारके अन्य कार्यालयों में समक्षवेतनमान पर किया जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि कोई विभाग/पर्षद, प्राधि कार एवं निगम उन पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं करेंगे, जिन पदों पर चकबंदी के अतिरेक कर्मचारियों का समायोजन संभव है । उस वेतनमान में कोई नई नियुक्ति करने के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी सचिव राजस्व से रिक्तियों की सूचा देते हुएउनसे अतिरेक कर्मचारिों की सेवा प्राप्त करेंगे।

2- इस संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 50 दिनांक 17.1.94 के द्वारा विस्तृत आदेश आपको पूर्व में भेजे गये हैं । मुख्य सचिव के प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक में उस वेतनमान की पर्चा की गई है कि जिस वेतनमान में चकबंदी के अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत हैं ।

3- अत: आपसे अनुरोध है कि संबंधित वेतनमान के रिक्त पदों की सूचना अविलम्ब मुझे भेजने काकष्ट करेंगे ताकि उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध चकबंदी अतिरिक्त कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध करायी जा सके ।

4- सभी प्रमंडलीय आयुक्त अपने प्रमंडल में कानूनगो/अंचल निरीक्षक के रिक्तपदों की सूचना अविलम्ब सचिव राजस्व को उपलब्ध करायेंगे । प्रमंडलीय आयुक्त / समाहर्त्ता अपने कार्य क्षेत्र में सहायक लिपिक/पेशकार, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेवक अमीन, दफ्तरी आदेशपाल/रात्रिप्रहरी, जंजीर वाहक/अनुसेवक के अतिरेक पदों की सूचना अविलम्ब सचिव राजस्व को देंगे एवं उन रिक्त पदों के विरूद्ध चकबंदी के अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करेंगे ।

5- चकबंदी के अतिरक्त कर्मचारियों को पूर्णत: समायोजन हो जाने के बाद ही सभी नियुक्ति पदाधिकारी संबंधित वेतनमान के पदों पर कोई नई नियुक्ति करेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(लक्ष्मी सिंह)
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या -4/ जनगणना - 6/87 2346 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्रीआर0 श्रीनिवासन,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
राज्य सरकार के सभी उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक ।

पटना - 15, दिनांक 9.12.1987 ई०

विषय : जनगणना परिचालन के छटनीग्रस्त कर्मचारियों के सामंजन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या - 615/रा0, दिनांक 5.5.87 एवं परिपत्र संख्या - 1480 रा0, दिनांक 20.8.87 का कृपया निदेश करें । तदनुसार समय-समय पर सरकार द्वारा जनगणना छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समंजन के संबंध में स्पष्टीकरण किया जाता रहा है । फिर भी समाहर्त्ताओं द्वारा पृच्छायें प्राप्त होती रहती है इस संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं, जिनके द्वारा जानकारी दी गयी है कि कतिपय समाहर्त्ताओं द्वारा यह प्रक्रिया अपनायी जा रही है कि छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समंजन नियुक्ति हेतु उन्हें एक परीक्षा में बैठना होगा ।

अतः सरकार इस संबंध में स्पष्ट करना चाहती है कि छटनीग्रस्त कर्मचारियों को अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार की योग्यता परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि छटनीग्रस्त कर्मचारियों के बीच ही वे सीमित प्रतियोगिता कर योग्य उम्मीदवारों का चयन करना चाहेंगे तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

उक्त प्रसंगित परिपत्रों में निहित शर्त्ते यथावत लागू रहेंगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(आर0 निवासन)
सरकार के मुख्य सचिव ।

पत्र संख्या -4/ जनगणना - 5/86 615 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रषक,

श्री आर० श्रीनिवासन,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
राज्य सरकार के सभी उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक ।

पटना - 15, दिनांक 5.5.1987 ई०

विषय : राज्य के जनगणना परिचालन कार्यालय के छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 809 रा० दिनाक 8.4.1982 पत्रांक 1266 रा० दिनांक 17.5.1985, एवं 388 रा० दिनांक 15.2.86 कीओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार जनगणना से छटनीग्रस्त कर्मचारियों के संविलियन के लिए काफी चिन्तित है और इसके लिए निम्नांकित अनुदेश अबतक निर्गत किए गये थे ।

2- (1) जहां नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा नहीं हो रही है वहाँ जिला के आधार परदि दो व्यक्ति, जिनमें जनगणना के पदोनमुक्त कर्मचारी हों, लगभग समान रूप से योग्य हो तो उनमें से जनगणना से सेवा मुक्त कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाय जबकि सरकारद्वारा निर्धारित प्रक्रिया और आरक्षण सिद्धान्तों के अनुरूप हो ।

(2) छटनीग्रस्त कर्मचारियों ने जनगणना परिचालन कार्यालय में जितनी सेवा अवधि बिताई हो उतनी सेवा अवधि की उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाय । ऐसे छूट की अवधि की अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और केवल वैसे ही कर्मचारियों को देय होगी जिन्होंने जनगणना परिचालन कार्यालय में कम से कम 6 माह तक निरन्तर सेवा की हो ।

(3) जनगणना परिचालन कार्यालयों से छटनीग्रस्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों काएक पैनल बनाकर सभी जिला पदाधिकारी रख लें और इसी पैनल से रिक्त पदों या भविष्य में होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्तियां की जाय ।

3- जनगणना से छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में समय समय पर प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि इन छटनीग्रस्त-कर्मचारियों के समायोजन की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हो पायी है । राज्य सरकार ऐसे छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के लिए काफी चिन्तित है और इस संदर्भ में पूर्ण रूपेण विचार करते हुए सरकार ने इनके समायोजन हेतु पुनः निम्नांकित निर्णय लिया है:-

(i) राज्य में उपलब्ध रिक्तियाँ को नहीं भरने के सिलसिले में वित्त विभाग अथवा लोक उद्यम व्यूरो से जो निषेधाज्ञा निर्गत किए गये हैं उसे जनगणना छटनीग्रस्त कर्मचारियों की नियुक्ति में लागू नही किया जाय ।

(ii) चूंकि जनगणना 1981 को बीते 5 वर्ष हो गये हैं, छटनीग्रस्त कर्मचारियों की उम्र सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की जो सीमा छूट रखी गयी है उसे समाप्त करते हुए उम्र सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जाय ।

(iii) उपलब्ध रिक्तियों में जनगणना छटनीग्रस्त कर्मचारियों को नियुक्ति में सर्वोच्च प्राथमिकतादी जाय वशर्ते की छटनीग्रस्त कर्मचारी पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते हो और सक्षम हों ।

(iv) आरक्षण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो निदेश समय-समय पर निर्गत किए गये हैं वे पूर्णतः लागू रहेंगे।

जनगणना से छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में पूर्व में ऐसे सभी कर्मचारियों कीसूची भेजी गई है । पुनः जिलावार सूची संलग्न करते हुए मुझे यह अनुरोध करना है कि उक्त सूची के अनुसार ऐसे छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में सरकार द्वारा लिए गये निर्णय का दृढ़ता से पालन किया जाय ।

बिन्दु (i) में वित्त विभाग तथा लोक उद्यम व्यूरों की सहमति प्राप्त कर ली गयी है ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० श्रीनिवासन)

मुख्य सचिव, बिहार ।

पत्र संख्या -4/ जनगणना - 6/87 1480 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री आर० श्रीनिवासन,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
राज्य सरकार के सभी उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक ।

पटना - 15, दिनांक 19.8.1987 ई०
20

विषय : राज्य के जनगणना परिचालन कार्यालय के छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मेरे पत्र संख्या 4 जनगणना -5/86-615 रा० दिनांक 5.5.87 का कृपया निदेश करें । इस परिपत्र में इन छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में कई किस्म की विशेष छूट दी गयी है । मितव्ययिता के आलोक में रिक्तियों को भरने के संबंध में वित्त विभाग एवं लोक उद्यम ब्यूरों से जो निषेधाज्ञा निर्गत हुई थी, उसे छटनीग्रस्त कर्मचारियों के सामंजन में लागू नहीं किया गया । पूर्व में दी गयी 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट को बढ़ा 35 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गयी । इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि छंटनीग्रस्त जनगणना के कर्मचारियों की नियुक्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । इस तरह की विशेष छूट देने की सरकार की मंशा सिर्फ यही थी कि अधिक से अधिक छंटनीग्रस्त कर्मचारी विभिन्न रिक्तियों में सामंजित कर लिए जायँ । फिर भी उक्त वर्णित परिपत्र के संबंध में कई जिलों से पृच्छायें प्राप्त हुई है तथा निदेश की मांग की गयी है । इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

(क) भी० एल० डब्लू० या किसी संवर्ग की नियुक्ति नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया को शिथिल करने की कोई बात उक्त परिपत्र में नहीं की गयी है । नियुक्ति की नियमावली अलग रहने की वजह से छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई बाधा नहीं होगी । निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए छटनी ग्रस्त कर्मचारियों के नियुक्ति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । जनसेवक के रिक्तियों के विरूद्ध शैक्षणिक एवं शारीरिक योग्यता रखते हों और 35 वर्ष की उम्र सीमा से अधिक नहीं हो तो चयन कर उन्हें भी प्रशिक्षित कर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर जनसेवक के रूप में नियुक्त करने में कोई कठिनाई नजर नहीं आती ।

(ख) सरकारी परिपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि सरकार ने ऐसा कोई निदेश नहीं दिया है कि सभी रिक्तियां जनगणना छंटनीग्रस्त, कर्मचारी के लिए आरक्षित होगी । सरकार की मंशा सिर्फ इतनी ही है कि छंटनीग्रस्त कर्मचारी, रिक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक क्षमता रखते हों तो अधिक से अधिक संख्या में उनका सामंजन कर लिया जाय । इस किस्म से यदि उपलब्ध सभी रिक्तियों के लिए मात्र योग्य छंटनीग्रस्त कर्मचारी ही उपलब्ध होते हैं तो सभी पदों पर अवश्य ही इन लोगों की नियुक्ति हो सकती है । सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजाति इत्यादि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसका अनुपालन होगा ।

(ग) यह पूर्व ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आरक्षण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो निदेश समय-समय पर निर्गत किये गये हैं, वे पूर्णत: लागू रहेंगे । रिक्त पदों पर आरक्षण के नियमों का पूर्णतया पालन होगा ।

इनलोगों को नियुक्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि जहां भी रिक्ति है और उसके लिए कोई योग्य एवं सक्षम जनगणना छंटनीग्रस्त कर्मचारी उपलब्ध हों तो उन्हें नियुक्त करना चाहिए ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(आर० श्रीनिवासन)
मुख्य सचिव, बिहार ।

पत्र संख्या -4/ आ0 स्था0 मुज0 - 8/86 49 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री सी० आर० बेंकटरामन
आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बिस्कोमान भवन, पटना ।

औपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा : वित्त विभाग

पटना - 15, दिनांक 2.1.1987 ई०

विषय : **प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में सम्प्रति पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत टंककों एव प्रतिलिपिकों को सरकारी सेवक घोषित कर इन्हें सरकारी सेवकों की भाँति सारी सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय पत्रांक 1381 दिनांक 8.7.80 के क्रम में मुझे कहना है कि राज्य के समाहरणालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सम्प्रति पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत टंकक/प्रतिलिपिकों की तरह प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में सम्प्रति पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत सभी टंककों/प्रतिलिपिकों को सरकारी सेवक घोषित कर उन्हें सरकारी सेवक की भाँति सारी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात सम्प्रति प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत दो (एक-एक दोनों कार्यालयों के लिए) टंककों/प्रतिलिपिकों को निम्न शर्तों पर सरकारी सेवक घोषित करने की कृपा की है :-

1- इन्हें विभागीय पत्रांक 1381/रा०, दिनांक 8.7.80 द्वारा दी गयी प्रभा य दिनांक 8.7.80 से सरकारी सेवक घोषित किया जाता है तथावं सभी सुविधाएँ दी जायगी जो बिहार राज्य के तृतीय वर्ग के सरकारी सेवकों को अनुमान्य है । इनकी सेवा शर्त एवं आचरण नियमावली वही होगी, जो सामान्यत: राज्य के तृतीय वर्ग के सरकारी सेवकों पर लागू है ।

2- इन्हें बिहार राज्य के मुर्फस्सिल कार्यालयों के लिपिकों के लिए स्वीकृत वेतनमान 580-10-620-15-770 द0 रो0 - 15-860 अनुमान्य होगा तथा मूल वेतन के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत जीवन यापन एवं अन्य भत्ते भी अनुमान्य होगी । इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण होगी किन्तु इस काम में लगे नन-मैट्रिक अथवा निर्धारित आयु से कम टंककों की छटनी नहीं कर उन्हें भी अवकाश ग्रहण करने तक सेवा में बने रहने दिया जायगा । भविष्य में नन मैट्रिक की नियुक्ति इन पदों पर नहीं की जायगी ।

3- इनके वेतनादि का भुगतान प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के लिए निर्धारित बजट शीर्ष (मुख्य शीर्ष - 253 जिला प्रशासन आयुक्त-मुख्य कार्यालय) के अन्तर्गत वेतन के मद देय मदों से विकलनीय होगा । संबंधित मद में इसके हेतु अपेक्षित अतिरिक्त राशि का उपबंध राजस्व पर्षद एवं प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से परामर्श कर चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय अपुनूरक व्यय विवरणी में अनुसूची देकरकिया जायगा । तत्काल इनके वेतनादि का भुगतान उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत राशि से किया जाएगा।

4- इन टंककों एवं प्रतिलिपिकों को सामयिक वेतन (Time Scale Pay) में वेतन प्राप्त करने की यह शर्त होगी कि इन्हें पूर्ण मासिक वेतन प्राप्त करने हेतु इनका निर्धारित मात्र दण्ड 1000 (एक हजार) पोलियो प्रत्येक पोलियों में 150 शब्द प्रतिमास होगा । अगर इनका काम निर्धारित माप दण्ड से कम हुआ तो प्रत्येक वर्ष Calender year के अंतिम मापदण्ड के अनुसार कार्य में कमी के अनुपात में इनके वेतन एवं अन्य भत्ते से कटौती कर ली जायगी । अगर इनका कार्य निर्धारित मापदण्ड से अधिक हुआ तो प्रत्येक अतिरिक्त पोलियों के लिए 27½ पैसे का अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जायगा । इनके निर्धारित मापदण्ड का प्रथम लेखा जोखा दिसम्बर 87 का वेतन विपत्र तैयार करने समय प्रारंभ किया जायगा

और इसके बाद प्रतिवर्ष निर्धारित मापदण्ड के अनुसर इनके कार्यों का लेखाजोखा करने के पश्चात ही इनका दिसम्बर माह का वेतन विपत्र तैयार किया जायगा ।

5- जो प्रतिलिपिक एवं टंकक सरकारी सेवक घोषित होने की तिथि को 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो उन्हें नियमानुसार अवकाश ग्रहण कर दिया जाएगा किन्तु प्रारंभ में 8.7.80 अथवा इसके पूर्व 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मियों को दिनांक 31.12.86 के अपराह्न में अवकाश ग्रहण कराया जायगा । दिनांक 31.12.86 के पश्चात् 58 वर्ष की आयु प्राप्त टंकक एवं प्रतिलिपिक सामान्य नियमों के अन्तर्गत उचित तिथि को अवकाश ग्रहण करेंगे ।

6- अवकाश प्राप्त टंककों एवं प्रतिलिपिकों के स्थान पर याअन्य कारण से हुई रिक्ति में नयी नियुक्ति तब तक नहीं की जायगी जब तक उपर्युक्त निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक टंकक एवं प्रतिलिपिक के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य सुलभ एवं सुनिश्चित न हो जाय ।

7- प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के दिनचर्या लिपिक संवर्ग की नियमित स्थापना में कोई भी पद रिक्त होंगे उनका 15 प्रतिशत पद सरकारी सेवक घोषित जैसे टंककों एवं प्रतिलिपिकों की नियुक्ति हेतु आरक्षित रहेंगे जिनकी आयु 35 वर्ष से कम एवं जिन्हें अपेक्षित न्यूनतम योग्यता प्राप्त होगी ।

8- सेवा निवृति अथवा सामान्य स्थापना में रिक्त 15 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति के फलस्वरुप टंककों एवं प्रतिलिपिकों द्वारा रिक्त पदों पर तथा निर्धारित माप दण्ड से अधिक काम उपलब्ध होने के फलस्वरुप अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में टंककों एवं प्रतिलिपिकों की नयी नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

9- टंककों एवं प्रतिलिपिकों को सरकारी सेवक घोषित करने के फलस्वरुप इन्हें अनुमान्य वेतनमान् 580-860 में वेतन निर्धारित करते समय प्रत्येक कर्मियों को पांच पांच वर्ष की सेवा अवधि का गणना कर प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एक-एक अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी जिसकी अधिकतम सीमा पांच (5) होगी ।

10- टंककों को तत्काल अपने मशीनों का उपयोग करना होगा । सरकार की ओर से सरकारी टकण यंत्रों की भांति रीबन आदि की व्यवस्था की जायगी ।

11- जो टंकक अपने मशीन पर टंकण कार्य करेंगे उन्हें 10/- (दस) रु० का टंकण भत्ता प्रतिमास अनुमान्य होगा । इसहेतु ऐसे टंककों को प्रत्येक मास इस आशय का एक प्रमाण पत्र उपस्थापित करना होगा । प्रक्रम से इन्हें सरकार की ओर से टंकण यंत्र उपलब्ध कराया जायगा ।

12- इन कर्मियों को सरकारीसेवक घोषित होने के फलस्वरुप इन्हें बही पेंशन एवं उपादान का लाभ दिया जायगा जो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन्हें विधि विभाग एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक 6476 दिनांक 30.9.1978 एवं 1069 दिनांक 23.6.77 प्रतिलिपि संलग्न के द्वारा आदेश है ।

13- इनके संवर्ग तथा संवर्ग के पदों के री-ग्रुपींग (Re-grouping) के विषय में निर्णय राजस्व पर्षद के परामर्श करने के बाद लिया जायगा। इस बीच इनका संवर्ग प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में अस्थायी रूप से अलग रखा जायगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सी० आर० वेंकटरामन)

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक - 4/आ() स्था() 8/86 ..... रा०, पटना - 15 दिनांक

प्रतिलिपि वित्त विभाग (प्रशाखा -3ए) / वित्त (बजट शाखा) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(सी० आर० वेंकटरामन)

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक - 4/आ() स्था() 8/86 ..... रा०, पटना - 15 दिनांक

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, राजस्वपर्षद, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों कोसूचनार्थ प्रेषित ।

उप सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना एवं प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर एव मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि वे कृपया सरकारी सेवक घोषित टंककों एवं प्रतिलिपिकों की सूची जिसमें उनका नाम जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की तिथि एवं अन्य आवश्यक विवरणी उल्लिखित हो, अविलम्ब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेजने का कष्ट करें ताकि वेतनादि हेतु निधि आवंटन किया जा सके ।

ह०/-

(सी० आर० वेंकटरामन)

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

पत्र संख्या -4/ क्षे0 स्था0 सेवा - 47/86 55 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री रामध्यान प्रसाद
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
सभी उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 5/8.1.1987 ई०

विषय : राज्य समाहरणालायों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी सेवक घोषित टंककों/प्रतिलिपिकों को वित्त विभाग संकल्प संख्या 10770 दिनांक 30.12.81 को कंडिका 11 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कालबद्ध प्रोन्नति की अनुमान्यता के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में मुझे यह कहना है कि कालबद्ध प्रोन्नति सरकारी सेवा के आधार पर अनुमान्य होती है। राज्य समाहरणालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सम्प्रति पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत टंककों एव्र प्रतिलिपिकों की सेवा विभागीय पत्रांक - 1381/ रा0 दिनांक 8.7.80 द्वारा दिनांक 8.7.80 के प्रभाव से सरकारी घोषित हुई है । दिनांक 8.7.80 के पूर्व वैसे टंकक एवं प्रतिलिपिक सरकारी सेवा में नहीं थे । अत: उक्त विभागीय पत्रांक - 1381 रा0 दिनांक 8.7.80 द्वारा सरकारी सेवक घोषित टंककों एव्र प्रतिलिपिकों को सरकारीसेवा में समायोजित होने के वादकी गयी सेवा अर्थात 8.7.80 के बाद की गयी सेवा के आधार पर ही वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 10770 वि0 दिनांक 30.12.81 की कंडिका 11 के अनुसार कालबद्ध प्रोन्नति अनुमान्य होगी ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(रामध्यान सिंह)
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापांक - 4 क्षे0 स्था0 सेवा - 47/86 55 रा०, पटना -15 दिनांक 5.1.1987 रा0
प्रतिलिपि सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(रामध्यान सिंह)
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापांक - 4 क्षे0 स्था0 सेवा - 47/86 55 रा०, पटना -15 दिनांक 5.1.1987 रा0
प्रतिलिपि समाहर्त्ता, मुंगेर को उनके पत्रांक 1438 स्था0 दिनांक 2.7.86 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(रामध्यान सिंह)
सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या -4/ अंचल - स्था० 16/85 - 1835 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एल० पी० चौधरी

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त,

उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग ।

दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची ।

पटना - 15, दिनांक 1.9.1986 ई०
4

विषय : उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार एवं पिउन को सरकारी सेवामें समायोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक - 2748 दिनांक 7.11.86 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझ यह कहना है कि उक्त पत्र द्वारा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चौकीदारी तहसीलदार के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा वरीयता के अनुसार राज्य सरकार के अधीन उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के भिन्न-भिन्न जिलो में रिक्त राजस्व कर्मचारियों के पद पर समायोजित किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जब तक सभी कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार को राजस्व कर्मचारियों के पद पर समायोजित नहीं कर लिया जाता है तब तक उक्त प्रमण्डलों में राजस्व कर्मचारी के पद पर नई नियुक्ति नहीं की जाय ।

2- उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल में कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार को राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजित करने के क्रम में विभिन्न जिलों तथा उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल से इस प्रसंग पर निदेश मांगा गया है कि नन-मैट्रिक चौकीदार तहसीलदरों को राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजित किया जा सकता है या नहीं । इस प्रसंग पर आपका ध्यान वित्त विभाग के पत्रांक 5042 दिनांक 13 जुलाई 84 की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि उक्त पत्र द्वारा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छोटानागपुर प्रमण्डल में कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार, जो गैर सरकारी व्यक्ति हैं, उन्हें मैट्रिक या नन-मैट्रिक होने के बावजूद रु0 180-242 के बदले में दिनांक 1.4.81 से 535-765 रु0 वेतनमान दिया जाय । स्पष्ट है कि चौकीदारी तहसीलदार मैट्रिक/नन मैट्रिक दोनों को मैट्रिक चौकीदारी तहसीलदार के बराबर 535-765 / रु0 का वेतनमान स्वीकृत है जो राजस्व कर्मचारीके वेतनमान के बराबर है । वर्णित स्थिति में उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के कार्यरत सभी चौकीदारी तहसीलदार (मैट्रिक / नन-मैट्रिक) को सरकारी निदेशानुसार राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित करने की कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय ।

3- आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 646 न्याय दिनांक 5.12.85 द्वारा इस प्रसंग पर निदेश मांगा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के ऐसे चौकीदारी तहसीलदार / पियुनों को जिन्हें सरकारी सेवों में समायोजित किया गया है, चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में कालबद्ध प्रोन्नति तथा अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमान्य है या नहीं । विभागीय पत्रांक 1317 दिनांक 5.7.86 द्वारा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिस तिथि से ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवा में समायोजित किए गए हैं उसी तिथि से उन्हें पेंशन, उपादान आदि का लाभ देय होगा । इसी प्रकार सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले ऐसे कर्मचारी उसी तिथि से कालबद्ध प्रोन्नति तथा अन्य सुविधाओं के दावेदार हो सकते हैं जिस तिथि से उनका समायोजन सरकारी सेवा में होता है ।

4- इस पत्र की प्रतिलिपि उत्तरीएवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, के सभी जिला पदाधिकारी को मार्गदर्शन हेतु दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एल० पी० चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 1835 / रा० पटना - 15 दिनांक 4.9.86

प्रतिलिपि उत्तर एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के सभी उपायुक्तों को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(एल० पी० चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या -4/ अंचल - स्था० 16/85 - 1317 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एल0 पी0 चौधरी
सरकार के संयुक्त सचिव, ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बिस्कोमान भवन, पटना, पो0 - हिनू, रांची ।

अनौपचारिक रुप से
परामर्शित ।

द्वारा : वित्त विभाग । पटना -15, दिनांक 5.7.1986

विषय : उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार, दफ्तरी एवं अनुसेवक को सरकारी सेवा में समायोजित किए जाने के उपरान्त पेंशनादि का लाभ देने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहना है कि विभागीय पत्रांक - 2748 दिनांक 7.11.84 द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार, दफ्तरी एवं अनुसेवक को सरकारी सेवा में समायोजित करने के प्रश्न पर विचार करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया था कि चौकीदारी तहसीलदार के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा वरीयता के अनुसार राज्य सरकार के अधीन उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के भिन्न-भिन्न जिलो में रिक्त राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजित किया जाय । अनुसेवक एवं दफ्तरी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्व एवं भूमि सुर विभाग के प्रशासनाधीन जिला समाहरणालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित करने का निर्णय लिया गया था ।

छोटानागपुर प्रमंडल चौकीदारी तहसीलदार संघ की मांग पर उपर्युक्त कर्मचारियों की पेंशन, उपादान आदि की सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त कर्मचारियों को पेंशनादि का लाभ सरकारी सेवा में उनका समायोजन होने की तिथि से प्राप्त होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एल० पी० चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 1317 / रा० पटना - 15 दिनांक 5.7.86

प्रतिलिपि आयुक्त उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी उपायुक्त को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(एल० पी० चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 1317 / रा० पटना - 15 दिनांक 5.7.86

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(एल० पी० चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या -4/ जनगणना - 5/86 388 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० के० श्रीवास्तव
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
राज्य सरकार के सभी उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक ।

पटना - 15, दिनांक 14/15 वीं फरवरी 1986 ई०

विषय : राज्य के जनगणना परिचालन कार्यालय के छटनीग्रस्त कर्मचारियों की सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 809 रा० दिनाक 8.4.1982 पत्रांक 1266 रा० दिनांक 17.5.1985, का कृपया निदेश करें। उपर्युक्त पत्रों द्वारा बिहार राज्य जनगणना परिचालन कार्यालय के छटनीग्रस्त कर्मचारिों को प्राथमिकता के आधार पर योग्यतानुसार रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति करने के लिये सरकारी निदेश दिया गया था । राज्य सरकार जनगणना से छटनीग्रस्त कर्मचारियों के संविलियन के लिये काफी चिन्तित है और इसी सन्दर्भ में पूर्णरूप से विचार करने के पश्चात निम्नांकित अनुदेश निर्गत किये गये थे :-

(1) जहां नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा नहीं हो रही है वहां जिला के आधार पर यदि दो व्यक्ति, जिनमें जनगणना के पदोन्मुक्त कर्मचारी हों, लगभग समान रूप से योग्य हो तो उनमें से जनगणना से सेवा मुक्त कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाय। यह सुविधा तभी दी जाय जबकि सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया और आरक्षण सिद्धान्तों के अनुरूप हो ।

(2) छटनीग्रस्त कर्मचारियों ने जनगणना परिचालन कार्यालय में जितनी सेवा अवधि बिताई हो उतनी सेवा अवधि को उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाय । ऐसे छूट की अवधि की अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और केवल वैसे ही कर्मचारियों को देय होगी जिन्होंने जनगणना परिचालन कार्यालय में कम से कम 6 माह तक निरन्तर सेवा की हो ।

(3) जनगणना परिचालन कार्यालयों से छटनीग्रस्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का एक पैनल बनाकर सभी जिला पदाधिकारी रख लें । इसी पैनल से रिक्त पदों या भविष्य में होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्तियां की जाय ।

सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि जनगणना से छटनीग्रस्त कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में उपर्युक्त सरकारीनिदेशों काअनुपालन सभी विभाग/जिला कार्यालयों मेंपूरे तौर पर नहीं हो रहा है । वर्णित स्थिति में आपसे यह अनुरोध है कि कृपया सरकार को यह सूचित करें कि अप्रील 1982 (8.4.82) से अब तक आपके विभाग / कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कितनी नियुक्तियां हुई तथा उसमें कितने जनगणना से छटनीग्रस्त कर्मचारी है कितने विभागीय प्रोन्नति द्वारा नियुक्त हुये हैं, तथा कितने बाहर से नियुक्त हुये हैं ।

कृपया अपना रिपोर्ट 15.3.86 तक अवश्य भेज दें ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(के० के० श्रीवास्तव)
मुख्य सचिव ।

पत्र संख्या -4/ अंचल - स्था० 9/85 - 2748 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

बिस्कोमान भवन, पटना, पो० - हिनू, रांची ।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित ।

द्वारा : वित्त विभाग । पटना -15, दिनांक - 7.11.84

विषय : **उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार, दफ्तरी एवं प्यून को सरकारी सेवा में समायोजित करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहना है कि जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व 1914 में छोटानागपुर सरल पुलिस एक्ट लागू हो जाने के पश्चात छोटानागपुर प्रमंडल में चौकीदारी टैक्स कीवसूली के लिए प्रत्येक अंचल में एक-एक चौकीदारी तहसीलदार एक-एक प्यून तथा प्रत्येक अनुमंडल में एक-एक दफ्तरी का पद सृजित किया गया था । इन पदों के विरूद्ध क्रमश: 132 चौकीदारी तहसीलदार 13 प्यून एवं एक दफ्तरी वर्तमान समय में कार्यरत हैं । इन कर्मचारियों के वेतनादि काभुगतान राज्य निधि से किया जा रहा है । इन कर्मचारियों को सरकारी सेवक घोषित किये जाने के संबंध पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है -

(1) चौकीदारी तहसीलदार प्यून एवं दफ्तरी के रिक्त पदों पर नई नियुक्ति नही की जाय ।

(2) चौकीदारी तहसीलदार के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा वरीयता के अनुसार राज्य सरकार के अधीन उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के भिन्न-भिन्न जिलों में रिक्त राजस्व कर्मचारीके पद पर समायोजित किया जाय । भविष्य में भी जैसे-जैसे राजस्व कर्मचारी का पद रिक्त होता जाय वैसे-वैसे रिक्कत पदों पर चौकीदारी तहसीलदारों को समायोजित किया जाय । जब तक सभी कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार को समायोजित नहीं कर लिया जाता है तबतक उक्त प्रमंडल में राजस्व कर्मचारी के पद पर नई नियुक्ति नहीं की जाय ।

(3) प्यून एवं दफ्तरी के रूप में कार्यरत को राजस्व विभाग के प्रशासमाधीन जिला समाहरणालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित कर लिया जाय ।

(4) जहां जहां चौकीदारी तहसीलदार उपलब्ध नहीं हो वहां चौकीदारी टैक्स वसूली का कार्य राजस्व कर्मचारी करेंगे ।

(5) सम्प्रति कार्यरत चौकीदारी तहसीलदार, प्यून एवं दफ्तरी को क्रमश: राजस्व कर्मचारी एवं जिला समाहरणालय या अधीनस्थ कार्यालयों में समायोजित होते ही संबंधित पदों को विलोपित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 2748 / रा० पटना - 15 दिनांक 7.11.84

प्रतिलिपि आयुक्त उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल । उपायुक्त उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आदेश के कार्यान्वयन हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 2948 / रा० पटना - 15 दिनांक 6.11.84

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार । सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(रामवृक्ष बैठा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या -2/13 सेवा - 20/80 1381 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्रीआर0 एन0 सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

बिस्कोमान भवन, पटना,

अनौपचारिक रुप से
परामर्शित ।

द्वारा : वित्त विभाग ।

पटना -15 दिनांक 8वीं जुलाई 1980 ।

विषय : राज्य के समाहरणालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सम्प्रति पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत टंककों एवं प्रतिलिपिक को सरकारी सेवक घोषित कर इन्हें सरकारी सेवकों की भांति सारी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य के समाहरणालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सम्प्रति पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत टंकक/प्रतिलिपिकों को सरकारी सेवक घोषित कर उन्हें सरकारी सेवक की भांति सारीसुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव विगत कुछ वर्षों से राज्य सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात निम्न निर्णय लेने के कृपा की है :-

1- राज्य के समाहरणालय तथा इसके अधीन कार्यालयों में पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत सभी टंककों एवं प्रतिलिपिकों को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवक घोषित किया जाता है । इन्हें वे सभी सुविधाएँ दी जायगी जो बिहार राज्य के तृतीय वर्ग के सरकारी सेवकों को अनुमान्य है । इनकी सेवा शर्त एवं आचरण नियमावली वही होगी, जो सामान्यत: राज्य के तृतीय वर्ग के सरकारी सेवकों पर लागू है ।

2- इन्हें बिहार राज्य के मुफस्सिल कार्यालयों के निम्नवर्गीय लिपिकों के लिए स्वीकृत वेतनमान 220-4-240 द0 रो0 - 5-315 अनुमान्य होगा तथा मूल वेतन के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत जीवन यापन एवं अन्य भत्ते भी अनुमान्य होगी । इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण होगी किन्तु इस काम में लगे नन-मैट्रिक अथवा निर्धारित आयु से कम टंककों एवं प्रतिलिपिकों की छटनी नहीं कर उन्हें भी अवकाश ग्रहण करने तक सेवा में बने रहने दिया जायगा । भविष्य में नन मैट्रिक की नियुक्ति इन पदों पर नहीं की जायगी ।

3- इनके वेतनादि का भुगतान समाहरणालय के बजट शीर्ष - 253 जिला सामान्य प्रशासन मद के वेतन मद देय मदों से विकलीय होगा । इस मद में इसके हेतु अपेक्षित अतिरिक्त राशि का उपबंध राजस्व पर्षद एवं समाहरणालय से परामर्श कर चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय अपुनूरक व्यय विवरणी में अनुसूची देकर किया जायगा । तत्काल इनके वेतनादि का भुगतान उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत राशि से किया जाएगा।

4- इन टंककों एवं प्रतिलिपिकों को सामयिक वेतन मूल (Time Scale of Pay) में वेतन प्राप्त करने की यह शर्त होगी कि इन्हें पूर्ण मासिक वेतन प्राप्त करने हेतु इनका निर्धारित मात्र दण्ड 1000 (एक हजार) फोलियो (प्रत्येक फालियों में 150 शब्द) प्रतिमास होगा । अगर इनका कम निर्धारित माप दण्ड से कम हुआ तो प्रत्येक वर्ष (Calender year) के अंतिम मास में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य में कमी के अनुपात में इनके वेतन एवं अन्य भत्ते से कटौती कर ली जायगी । अगर इनका कार्य निर्धारित माप दण्ड से अधिक हुआ तो प्रत्येक अतिरिक्त फोलियो के

लिये 27½ पैसे का अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जायगा । इनके निर्धारित मापदण्ड का प्रथम लेखा जोखा दिसम्बर 81 के वेतन विपत्र तैयार करने समय प्रारंभ किया जायगा और इसके बाद प्रतिवर्ष निर्धारित मापदण्ड के अनुसर इनके कार्यों का लेखाजोखा करने के पश्चात ही इनका दिसम्बर माह का वेतन विपत्र तैयार किया जायगा ।

5- जो प्रतिलिपिक एवं टंकक सरकारी सेवक घोषित होने की तिथि को 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो उन्हें नियमानुसार अवकाश ग्रहण कर दिया जाएगा किन्तु प्रारंभ में आदेश निर्गत की तिथि 31.8.80 के बीच अथवा इसके पूर्व 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मियों को दिनांक 31.8.80 के अपराह्न में अवकाश ग्रहण कराया जायगा । दिनांक 31.8.80 के पश्चात् 58 वर्ष की आयु प्राप्त टंकक एवं प्रतिलिपिक सामान्य नियमों के अन्तर्गत उचित तिथि को अवकाश ग्रहण करेंगे ।

6- अवकाश प्राप्त टंककों एवं प्रतिलिपिकों के स्थान पर या अन्य कारण से हुई रिक्ति में नयी नियुक्ति तब तक नहीं की जायगी जब तक उपर्युक्त निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक टंकक एवं प्रतिलिपिक के लिए 1000 (एक हजार) फोलियों काकार्य सुलभ एव सुनिश्चित न हो जाय ।

7- समाहरणालयों के सामान्य लिपिक सम्वर्ग की नियमित स्थापना में कोई भी पद रिक्त होंगे उनका 15 प्रतिशत पद सरकारी सेवक घोषित जैसे टंककों एवं प्रतिलिपिकों की नियुक्ति हेतु आरक्षित रहेंगे जिनकी आयु 35 वर्ष से कम एवं जिन्हें अपेक्षित न्यूनतम योग्यता प्राप्त होगी ।

8- सेवा निवृति अथवा सामान्य स्थापना में रिक्त 15 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति के फलस्वरुप टंककों एवं प्रतिलिपिकों द्वारा रिक्त पदों पर तथा निर्धारित माप दण्ड से अधिक काम उपलब्ध होने के फलस्वरुप अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में टंककों एवं प्रतिलिपिकों की नयी नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

9- टंककों एवं प्रतिलिपिकों को सरकारी सेवक घोषित करने के फलस्वरुप इन्हें अनुमान्य वेतनमान् 220-315 में वेतन निर्धारित करते समय प्रत्येक कर्मियों को पांच पांच वर्ष की सेवा अवधि का गणना कर प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एक-एक अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी जिसकी अधिकतम सीमा पांच (5) होगी ।

10- टंककों को तत्काल अपने मशीनों का उपयोग करना होगा । सरकार की ओर से सरकारी टकण यंत्रों की भांति रीवन आदि की व्यवस्था की जायगी ।

11- जो टंकक अपने मशीन पर टंकण कार्य करेंगे उन्हें 10/- (दस) रु० का टंकण भत्ता प्रतिमास अनुमान्य होगा । इस हेतु ऐसे टंककों को प्रत्येक मास इस आशय का एक प्रमाण पत्र उपस्थापित करना होगा । प्रक्रम से इन्हें सरकार की ओर से टंकण यंत्र उपलब्ध कराया जायगा । ओर बदले में अनुमान्य टंकण भतों की समाप्ति कर दी जायेगी ।

12- इन कर्मियों को सरकारी सेवक घोषित होने के फलस्वरुप इन्हें बही पेंशन एवं उपादान का लाभ दिया जायगा जो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन्हें विधि विभाग एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक 6475 दिनांक 30.9.1978 एवं 1069 दिनांक 23.6.77 प्रतिलिपि संलग्न के द्वारा आदेश है ।

13- इनके संवर्ग तथा संवर्ग के पदों के री-ग्रुपींग (Re-grouping) के विषय में निर्णय राजस्व पर्षद के परामर्श करने के बाद लिया जायगा। इस बीच इनका संवर्ग समाहरणालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अस्थायी रूप से अलग रखा जायगा ।

14- उपर्युक्त आदेशनिर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० एन० सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 1381 रा०, पटना - 15 दिनांक 8वीं जुलाई, 1980 ।

प्रतिलिपि वित्त विभाग / वित्त (बजट शाखा) विभाग को सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/-

(आर० एन० सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 1381 रा०, पटना - 15 दिनांक 8वीं जुलाई, 1980 ।

प्रतिलिपि उप-सचिव, राजस्वपर्षद, बिहार, पटना / सभी समाहर्त्ताओं । सभी अनुमण्डलाधिकारियों कीसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2- उप सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना एवं सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि वे कृपया आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवक घोषित टंककों एवं प्रतिलिपिकों की एक सूची जिसमें उनका नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की तिथि एवं अन्य आवश्यक विवरणी उल्लिखित हो, अविलम्ब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेजने का कष्ट करें ताकि वेतनादि हेतु निधि आवंटन किया जा सके ।

ह०/-

(आर० एन० सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या -4/स्था0 नीति -17/2001 192 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।

पटना -15 दिनांक 5.3.2002

विषय : अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के वरीयता निर्धारण, वरीयता सूची प्रकाशन, सेवा सम्पृष्टि एवं देय प्रोन्नति के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो संघ द्वारा सरकारके समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो संवर्ग को वरीयता निर्धारण में सरकारी नीति का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है जबकि उनकी वरीयता निर्धारण करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 369 रा० दिनांक 15.4.99 के साथ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रांक 15784 का0 दिनांक 26.8.72 की प्रतिसंलग्न करते हुए स्पष्ट रूप से नीति निर्धारण किया जा चुका है ।

इससंबंध में यह भी स्पष्ट कर देना है कि अंचल निरीक्षक सह मानूनगो को प्रोन्नति देने हेतु विभागीय पत्रांक 369 रा0 दिनांक 15.4.99, 412 रा0 दिनांक 27.7.98 , 890 रा0 दिनांक 20.11.98 एवं 426 रा0 दिनांक 13.3.2001 द्वारा आपको समुचित निदेश दिया जा चुका है ।

अतः अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उक्त परिपत्र संख्या 15784 दिनांक 26.8.72 की कंडिका - 3 (iii) में निर्धारित नीति के अनुसार अपने प्रमण्डल के अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की वरीयता निर्धारण करते हुए वरीयता सूची निर्गत कीजाय तथायदि किसी कर्मचारी को उसके ही अनुरोध पर एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरित किया गया है तो उसके द्वारा पूर्व पद परकी गई सेवाएँ वरीयता के लिये नहीं गिनी जायेगी ।

अतः अनुरोध है कि नियमानुसार सरकार द्वारा विनिर्धारित नियमों के आलोक में प्रमण्डलीय वरीयता सूची का प्रकाशन यथाशीघ्र करते हुएसरकारको उसकी प्रति भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।